© 2018 IJSRSET | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099
Themed Section : Engineering and Technology

# प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत ब्राह्मणों की स्थिति

Rajeev Kumar
UGC-Net, Hitory,
Vill-Umarpur Niwa Dhoomanganj.
Dust- Allahabad UP

**सार :–**

इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। उसके लिए साहित्यिक साधन, पुरातात्विक साधन और विदेशियों के वर्णन सभी का महत्व है। भारतीय इतिहास का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए इन सबका अध्ययन आवश्यक है।

प्राचीन कालीन समाज में वर्ण – व्यवस्था की स्थिति को जानने के लिए तत्कालीन लेखकों द्वारा लिखें गये ग्रन्थ, अभिलेख एवं विदेशी यात्रियों क वृतान्त सभी का पर्याप्त महत्व है। इनकी सहायता से हम उस काल के वर्ण व्यवस्था के स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं।

**साहित्यिक स्रोतः–**

प्राचीन कालीन समाज में वर्ण–व्यवस्था की स्थिति को जानने के लिए तत्कालीन साहित्यिक स्रोतो का विशेष महत्व है। उस काल के लेखकों ने तत्कालीन समाज पर अनेक ग्रन्थ लिखे। उन्होंने धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखा तथा उस समय की वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला।

इस काल के साहित्यिक स्रोतों मे **मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि, कृज्यकल्पतरू के लेखक लक्ष्मीधर, याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, याज्ञवल्क्य स्मृति के दूसरे टीकाकार अमरात्रि आदि जैन लेखेकों के ग्रन्थ धूर्ताख्यान भविष्यत कथा, कुवलयमाला, उपमितिभवप्रपंच कथा और समरैच्चकहा आदि, कल्हण रचित राजतरंगिणी और विदेशी लेखकों इब्नुखुर्ददवा मसूदी और अलबेरूनी के वृतान्त** उल्लेखनीय है।

मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा में जो परिवर्तन इस काल में आ रहे थे उनका विशद् विवेचन किया है। उससे समाज मे जो परिवर्तन आ रहे थे उनको ध्यान में रखकर वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। अरब यात्री मसूदी दसवीं शती ई0 में भारत आया था। उसने लिखा है कि भारत की सभी जातियों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ समझे जाते है। अलबरूनी के अनुसार हिन्दू समाज मे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे जैन विद्वानों ने ब्रह्मणो के कर्मकाण्ड और मिथ्या विश्वासों की धूर्ताख्यान जैसे ग्रन्थों मे हंसी उड़ाई है। किन्तु मेधातिथि के अनुसार राजा को अपराधी ब्राह्मण पर जुर्माना भी नहीं करना चाहिए। अपरार्क ने लिखा है कि ब्राह्मण किसी का दास नही हो सकता।

पूर्वमध्यकालीन भारतीय शास्त्रकारों ने क्षत्रियों के शौर्य, शासन–कौशल, युद्धक प्रवृत्ति आदि की चर्चा की है, पराशर के अनुसार क्षत्रीय प्रजा की रक्षा करता था, शस्त्र धारण करता था, भली–भाँति दण्ड देता था और दूसरों की सेनाओं को जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करता था। लक्ष्मीधर ने 'क्षत्रीय' शब्द को 'क्षतात्त्राणम्' से निःसृत माना है। 'क्षतात्त्राणम्' का अर्थ था, तीनो वर्णो का हानि तथा भय से त्राण करना। नवीं सदी के लेखक इब्नखुर्ददवा ने लिखा है कि क्षत्रीयों के सम्मुख सब लोग सिर झुकाते है, लेकिन ये किसी के सिर नही झुकाते।

पूर्वमध्यकाल तक आते–आते वैश्यों के कार्यो मे कुछ कमी आ गई। अलबेरूनी लिखता है, 'वैश्य का धर्म है कि खेती करें, भूमि को जोते, पशु पाले और ब्राह्मणों की आवश्यकता को पूरा करें। हेमचन्द्र वैश्यों के लिए वाणिज्य, पशुपालन और कृषि प्रधान कर्म बताया है। कालान्तर में वैश्यों शूद्रो में अधिक अन्तर नही रह गया गया। वैश्य निश्चित रूप से शूद्र की स्थिति तक पहुँच गये थे।

पूर्व मध्ययुग में भी शूद्रो का प्रधान कर्म अपने से उच्च वर्णो की सेवा करना ही था। इस काल की कृतियाँ और टीकाएं शूद्रो के व्यवसाय और स्तर के संबंध में पुराकालीन स्मृतियों का अनुसरण करती हैं लक्ष्मीधर ने मत व्यक्त किया है कि 'विशुद्ध मस्तिष्क का शुद्र निकृष्ट, दुर्नाम, ब्राह्मण क्षत्रीय और वैश्य से उत्तम है, वह एक स्थल परपुनः कहता है, 'अगर शूद्र ब्राह्मण को चावल पकाने के लिए देता है तो वह कोइ पाप नही करता।

## पुरातात्विक स्रोतः–

पूर्वमध्यकाल में वर्ण व्यवस्था के जानने के लिए पुरातात्विक स्रोंतो का विशेष महत्व है। इस काल के अभिलेखों, भित्तिचित्रों ताम्रलेखों तथा दानपत्रों आदि से इस काल की वर्ण व्यवस्था की दशा जाननें में सहायता मिलती है।

इस काल के चंदेल, कलचुरि और चालुक्य अभिलेखों से ज्ञात होता है कि 'कुछ ब्राह्मण योद्धा थे।' कुछ सरकारी नौकर थे। इस काल के वर्ण व्यवस्था के विषय में जानने के लिए शासकों के दान पत्रों का भी विशेष महत्व है इच्छावर प्लेट के अनुसार चन्देल शासक परमर्दि का सेनापति मदनपाल शर्मन ब्राह्मण था।

इस काल के पुरातात्विक स्रोत तत्कालीन वर्ण व्यवस्था की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोंतो जितने सहायक नही है किन्तु कुछ अभिलेखों, दान पत्रों आदि से उस काल के समाज मे वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है।

## विदेशी यात्रियों के वृतान्त

पूर्वमध्यकाल में अनेक विदेशी यात्री भारत आये तथा उन्होंने यहाँ पर रहकर तत्कालीन भारत के विषय मे लिखा। जिससे हमें उस काल में वर्ण व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है।

608 ई0 से 907ई0 तक चीन में टांग वंश का शासन था। उस समय अनेक भिक्षु चीन से भारत आये। इन पर चीन में उनके जीवन चरित्र लिखे गये। लातिका–लाहिड़ी ने 1986 मे इन जीवन चरित्रों का अनुवाद किया। इससे पूर्वमध्य काल की सामाजिक दशा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।

आठवीं शताब्दी से अरब लेखकों ने भारत पर लिखना आरंभ कर दिया था। सुलेमान नामक अरब यात्री नौवीं शती ई0 के मध्य मे भारत आया था। उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा

है। अरब यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध अलबेरूनी था। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक 'तहकीक–ए–हिन्द' में लिखा है कि 'हिन्दू लोग एक बार अपवित्र वस्तु को शुद्ध करके फिर अपने समाज में लाना नही चाहते। उसने लिखा है कि ब्राह्मण अपने घनिष्ठ मित्र शूद्रो के यहाँ भी भोजन नही करते। तथा वैश्यों एवं शूद्रो की स्थिति एक जैसी थी। इस प्रकार अलबेरूनी के वर्णन से उस काल की वर्ण व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है परन्तु उसके वर्णन का मुख्य आधार उस समय उपलब्ध भारतीय साहित्य था। उसने निजी अनुभव के आधार पर कुछ नही लिखा। यही उसके वर्णन का दोष है। इसके अतिरिक्त इब्नखुर्ददवा, अलमसूदी आदि। अरब यात्रियों क वृतान्त भी उल्लेखनीय है। जिससे तत्कालीन भारतीय समाज में वर्ण–व्यवस्था  की जानकारी मिलती है।

## pkrqoZ.kZ esa czkã.k dk LFkku

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत चातुर्वर्ण का विकास देश, काल और परिस्थिति के अनुसार संवर्द्धित होता रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्राचीन काल से लेकर बारहवीं सदी तक विभिन्न परिवर्तनों और स्थितियों से होकर विकास की ओर प्रवृत्त हुए। उनके विकास का आधार धर्म था, जो उनके शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों से सम्बद्ध था। प्रत्येक वर्ण का निश्चित कर्म निर्दिष्ट किया जाता था, जो उसके वर्ण–धर्म से संबन्धित होता था। वर्ण–धर्म–परक कर्मों की व्याख्या में व्यक्ति के गुणों को समाहित किया जाता था और एक–दूसरे वर्ण से पृथक भी रखा जाता था। यह पृथकता गुणों के आधार पर स्वीकार की जाती थी। सत्व, रजस्, और तमस् ये तीन गुण माने जाते है। सत्व का सम्बन्ध ब्राह्मण से, रजस का क्षत्रिय से , रजस और तमस् के सम्मिलित स्वरूप का वैश्य से तथा तमस् का शूद्र से था। अतः इसी आघार पर उनके कर्मानुसार वर्ण–धर्म की नियोजना की गयी थी।

समाज में ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। केवल धार्मिक ग्रंथों से ही नही वरन् विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से भी इस बात की पुष्टि होती है। अरब यात्रात्री अलमसूदी एवं अलबेरूनी ने लिखा है कि अनेक वर्ण एवं जातियों में ब्राह्मण सबसे अधिक पवित्र है और उन्हें सबसे अधिक सम्माान मिलता है। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य इस युग में भी अध्ययन–अध्यापन, यजन–याजन तथा दान देना और दान लेना था। वे शास्त्राों द्वारा निर्दिष्ट आचार का पालन करते थे, वेद–वेदांग तथा अन्य शास्त्रों में पारंगत होते थे। उन्हें श्रोत्रिय, आचार्य तथा उपाध्याय कहा जाता था। ऐसे ब्राह्मण दान के पात्र समझे जाते थे। अनेक ब्राह्मण पूरोहित का कर्म करते थे। समाज को शिक्षित करते, धर्मगत कृत्यों को संपादित करने, याज्ञिक क्रियाओं को सम्पन्न करने तथा यज्ञादि करवानें में वह सहायक होता था। वह सभी वेदों का ज्ञाता और सभी विद्याओं का मर्मज्ञ होता था विद्वत्ता और ज्ञान के कारण भी समाज में उसका विशिष्ट स्थान था।

किंतु बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेश में ब्राह्मणों को इन निर्दिष्ट व्यवसायों में अजीविका चलाना कठिन था। बाह्य आक्रमणों से उत्पन्न राजनीतिक उथल–पुथल तथा आर्थिक विवशताओं ने ब्राह्मणों को अन्य व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य किया। इसके बावजूद इस काल में भी ब्राह्मणों का मुख्य एवं प्रधान कर्म यजन–याजन, अध्ययन–अध्यापन, दान लेना तथा दान देना बना हुआ था।

## ब्राह्मणों के विशेषाधिकार

हिन्दू समाज में प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों को विशेषाधिकार के रूप में अनके सुविधाएं प्राप्त थी जो अन्य वर्णों के लिए विहित नहीं थी। राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में उनकों अनेकानेक सुविधांए मिली थी, जो विशेषाधिकार के रूप में चल पड़ी, जिससे वे स्वभावतः वर्णों में सर्वोपरि हो गये। ब्राह्मणों की ये सुविधाएं पूर्वमध्यकाल में भी यथावत बनी रही।

### राजनीतिक विशेषाधिकारः–

पूर्व मध्यकालीन लेखक लक्ष्मीधर और कल्हण से विदित होता है कि राजा के अभिषेकोत्सवों में ब्राह्मण प्रमुख रूप से सम्मिलित होता था। अलबेरूनी ब्राह्मणों की आदिकालीन राजनीतिक स्थिति के विषय मे कहता है कि शासन और युद्ध के कार्य ब्राह्मण के हाथ मे थे। किन्तु देश की व्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि वे धर्मशास्त्रों के दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुरूप शासन करते थे, जो जनता के अनिष्टकारी और उच्छृंखल तत्वों के सम्मुख असम्भव ठहरा। अतः उन्होंने अपने धर्म के स्वामी से प्रार्थना की फलतः ब्रह्मा ने उन्हें वे ही कार्य दिये जो इस समय उनके पास है, शासन और युद्ध के कार्य क्षत्रियों के दिए गये। अलबेरूनी का यह कथन वास्तविकता के सैद्धांतिक पक्ष को ही व्यक्त करते हैं। व्यवहार मे यह था कि देश और राज्य मे अनेक राजनीतिक भूमिका ब्राह्मण निभाते थे। राज्याभिषेक से लेकर राजा को मंत्रणा देने और न्याय प्रदान करने तक उसकी अभूतपूर्व भूमिका होती थी।

### ब्राह्मण के लिए दण्ड व्यवस्था :–

प्राचीन धर्मशास्त्रों ने धर्मच्युत होने पर ब्राह्मणों को दण्ड न देने की व्यवस्था की थी। भीषण से भीषण अपराध कर देने पर भी उन्हें अपेक्षाकृत दण्ड बहुत कम दिया जाता था। वह पूर्ण रूप से अवध्य, अवन्ध्य, अदण्डय अबहिष्कार्य अपरिवाद्य और अपरिहार्य था।

पूर्व मध्ययुग में भी ब्राह्मणों को ये सुविधाएँ प्राचीन काल में रिक्थ में मिली थीं। अलबेरूनी लिखता है कि हत्यारा ब्राह्मण है और मरा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे वर्ण का है तो उसे उपवास, प्रार्थना अथवा दान के रूप में कवेल प्रायश्चित ही करना पड़ता था। अगर मरनेवाला भी ब्राह्मण है और मारनेवाला भी ब्राह्मण है तो उसे प्रायश्चित का अधिकार नही, क्योंकि प्रायश्चित से अपराध समाप्त हो जाता है। तत्कालीन अनेक हिन्दू ग्रन्थों मे ब्राह्मणों को दण्ड देने की समस्या पर विस्तार से विचार किया गया है और कहीं–कहीं ब्राह्मणों के इस विशेषाधिकार की चुनौती भी दी गई है। तथा उन्हें दण्ड का भागी स्वीकार किया गया है। कृत्यकल्पतरू, बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र, लघुवराहनीतिसार जैसी कृतियों में ब्राह्मणों के लिए प्राणदण्ड की व्यवस्था निषिद्ध की गई है। किन्तु कुछ धर्मशास्त्रों में प्राचीन विधाओं के विरूद्ध आततायी ब्राह्मण को प्राणदण्ड देने का विधान किया गया है। सुमन्त को उद्धृत करते हुए विज्ञानेश्वर ने दुराचारी ब्राह्मण को प्राणदण्ड देने की व्यवस्था की है। स्मृतिचन्द्रिका के लेखक देवण्भट्ट ने भी ऐसे अपराधी ब्राह्मण का वध करने का समर्थन किया है।

कल्हण ने चन्द्रापीड के समय की एक घटना का उल्लेख किया है जिसमें चन्द्रापीड एक ब्राह्मण पर अभियोग लगाये जाने पर कहता है, ''दोष प्रमाणित होने पर किसी साधारण पुरूष को भी मृत्युदण्ड नही दिया जाता, फिर यह तो ब्राह्मण है। अतएव अपराध सिद्ध हो जाने पर भी मैं उसे मृत्युदण्ड नही दे सकता।'' वह ब्राह्मण राजा द्वारा प्राणदण्ड़ से मुक्त कर दिया गया। परन्तु कल्हण ने ऐसी अनेक घटनाओं का भी वर्णन किया है जिनमें ब्राह्मणों का वध कर डाला गया था।

साधारण चोरी के अपराध में तो ब्राह्मण को कोई दण्ड नहीं मिलता था, किन्तु बड़ी चोरी में कुछ दण्ड देने की व्यवस्था थी। अलबेरूनी लिखता है, ''यदि वस्तु बहुत बड़ी हो तो राजा ब्राह्मण को अंधा करके उसका अंग कटवा डाले। उसका दायाँ और बायाँ पैर या बायाँ हाथ और दायाँ पैर कटवा दें''। आपस्तम्ब ने यह व्यवस्था दी है कि हत्या के अपराध में और चोरी के अपराध में ब्राह्मण की आँखे जीवनपर्यन्त के लिए बाँध देनी चाहिए, जबकि अन्य तीन वर्णो के लिए उसने प्राणदण्ड की व्यवस्था दी थी।

**बौद्धिक और शैक्षणिक विशेषाधिकार :–**

समाज में ब्राह्मण बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान का नेता था। वह बौद्धिक ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ था । जो वेदों का ज्ञाता और आर्षेय था वही ब्राह्मण ऋषि था। द्विजो को शिक्षा देने और आध्यात्मिक ज्ञान करने का दायित्व उसी पर था। समाज और देश का शैक्षणिक और बौद्धिक उत्कर्ष उसी के प्रयास में था। पौरोहित्य और शिक्षण के कार्य पूर्ण रूपेण निर्वाहित करने के लिए वैदिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती थी। अध्यापन कार्य पर ब्राह्मण का एकाधिकार था। वह अपनी शिक्षा और ज्ञान से समाज को बौद्धिक क्षेत्र में अग्रणी करता था।

समाज में वेदों का प्रचार और प्रसार ब्राह्मणों के कारण ही संभव था। वे ही वेद और शास्त्र के प्रवर्तक थे। पूर्वमध्य युग मे भी ब्राह्मण बौद्धिक दृष्टि से उच्च और महान थे। अलबेरूनी के अनुसार '' ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ाने का एकमात्र अधिकार था।'' लक्ष्मीधर ने लिखा है कि '' ब्राह्मण ही अध्यापन कार्य करते थे।''

**धार्मिक विशेषाधिकारः–**

समाज की समस्त धार्मिक क्रियाओं का संचालन और संपादन ब्राह्मण ही किया करता था। अलबेरूनी लिखता है कि उन लोगों (राजाओं तथा सामन्तो) के घरो में सर्वदा एक ब्राह्मण रहा करता था, जो वहाँ धर्म और पुण्य का कार्य कराता था तथा जो 'पुरोहित' कहा जाता था। ऐसे बड़े लोगों के यहाँ धर्म और पुण्य का कार्य कराने से पुरोहित को दान और उपहार मिलते थे, जिससे वे अपनी आजीविका चलाते थे। लक्ष्मीधर ने लिखा है कि ब्राह्मण पुरोहित के रूप में समस्त धार्मिक कार्यो को सम्पादित करता था। मध्यकालीन अभिलेखों से ब्राह्मण पुरोहित होने के विवरण मिलते है। इन्हें अनेक प्रकार के दानादि दिये जाते थे। जयचन्द्र ने अपने पुत्र हरिश्चन्द्र का नामकरण संस्कार संपन्न किये जाने पर अपने राजपुरोहित ऋषिकेश शर्मन को दो ग्राम दान में दिये थे।

राज्य और समाज के देवमंदिरों में ब्राह्मण ही प्रधान कर्ता–धर्ता होता था, जो मंदिर के प्रधान पुजारी के रूप में देवताओं का पूजन–अर्चन करता था। मंदिर में अनेकानेक सामग्री दानादि में प्रदान की जाती थी। बहुधा राजे और सामन्त बड़े–बड़े ग्राम मंदिर को दान में प्रदान करते थे, जो मंदिर की संपत्ति समझे जाते थे। किन्तु उसका उपभोग वस्तुतः ब्राह्मण पुरोहित ही करते थे। सोमनाथ जैसे वृहत मंदिरों के कार्य को देखने के लिए हजारो की संख्या में ब्राह्मण नियुक्त किये जाते थे जो मंदिर के प्रधान पुजारी के अन्तर्गत होते थे। जकरीय अल कजवीनी के अनुसार हजारो ब्राह्मण सोमनाथ के मंदिर में पूजन और दर्शनाथियों की सेवा के लिए रखे गये थे।

**सामाजिक विशेषाधिकार–**

ब्राह्मण की स्थिति समाज में सर्वोच्च थी। उसकी यह सर्वोच्चता उसके ज्ञान और विद्वत्ता के कारण ही थी। वह अपनी विद्वता से समाज को शिक्षित करता था तथा अपनी याज्ञिक क्रिया से उसे धार्मिक बनाता था।

वैदिक युग से ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा था वह अपने विशिष्ट कार्यों से समाज का अभिन्न अंग बन चुका था।

पूर्व मध्यकाल में भारतीय समाज में ब्राह्मण को सामाजिक रूप से अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जिससे उनकी सामाजिक स्थिति काफी सम्मानपूर्ण थी तत्कालीन स्मृतिकारों एवं विद्वानों ने ब्राह्मण को दास न बनाये जाने की व्यवस्था की है। मेधातिथि तथा अपरार्क ने यह व्यवस्था दी है कि ''ब्राह्मण कभी किसी का दास नही हो सकता''। ब्राह्मण के लिए प्रत्येक वर्ण से एक–एक पत्नी रखने का अधिकार था। इस प्रकार वह चार पत्नियाँ रख सकता था। यह व्यवस्था वैदिककालीन है। तत्कालीन समाज ब्राह्मण की वैवाहिक स्थिति के विषय में व्यवस्थाकारों ने नियम दिये है। अलबेरूनी ने लिखा है पत्नियों की संख्या वर्ण पर आधारित थी जिसके अनुसार ब्राह्मण चार, क्षत्रिय, तीन, वैश्य दो और शूद्र एक पत्नी रख सकता था। हिन्दू सामाजिक जीवन में चार पत्नियाँ रखना ब्राह्मण की विशेष सामाजिक स्थिति थी, जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा को व्यक्त करती है। ब्राह्मण की सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल आधार उनकी बौद्धिक और धार्मिक श्रेष्ठता थी, जिसके कारण समाज के सभी वर्गो में उनका सामाजिक मान–सम्मान आदर था।

**आर्थिक विशेषाधिकार :–**

आर्थिक दृष्टि से भी ब्राह्मण का अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त था। फलस्वरूप वे अधिकाधिक दान प्राप्त करने का प्रयास करते थे। ब्राह्मणों को राज्य और जनता दोनों से समुचि दान मिलता था जिससे वह अपना जीविकोपार्जन करता था।

ब्राह्मण के धन को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता था **अलबेरूनी लिखता है** कि ब्राह्मण के लिए कर प्रदान करना अपेक्षित नही। सभी प्रकार के करो से केवल ब्राह्मण ही मुक्त था। पूर्वमध्ययुगीन ग्रन्थों में भी ब्राह्मण को करो से मुक्त होने का निर्देश किया गया है। ब्राह्मण की कर मुक्ति के सम्बन्ध में अनेक अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। एक अभिलेख 1230 ई0 का है जो गुजरात से मिला है। **'ब्रह्मदेय'** के नाम से कुछ भूमि ब्राह्मणों के पास अलग से रहती थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों के कुछ वर्ग कर मुक्त थे। **'ब्रह्मदेय'** उन ग्रामो को कहा जाता था जो वेद तथा अन्य शास्त्रों की शिक्षा देने वाले ब्राह्मणों को राजा की ओर से मिलते थे। **'ब्रह्मदेय'** पर उन ब्राह्मणों को कर नहीं देना पड़ता था, यह सत्य है, किन्तु यह **ब्रह्मदेय** पर कर मुक्ति उनके विशेष कार्यो, जैसे वैदिक शिक्षा के वितरण के लिए थी, जो उनकी अप्रत्यक्ष वृत्ति थी। दान में दिये गये प्रायः सभी ब्राह्मणो–ग्रामो को यह छूट मिलती थी। ब्रह्मदेय से कामरूप भी सम्मानित हुए थे। 922 ई0 के कलिंग गंगराजा अनन्त वर्मन के एक ताम्रपत्र से यह सूचना मिलता है कि राजा के भाई जयवर्मन ने अपनी कन्या के विवाह में विद्वान ब्राह्मण सोमाचार्य को भूमि भेंट की थी। पूर्वमध्ययुगीन अनेक राजपूत शासकों ने ब्राह्मणों को धन–सम्पत्ति, भूमि–पशु आदि दान में दिए थे।

इस प्रकार इस काल में ब्राह्मणों को अपना आर्थिक जीवन उन्नत करने के लिए राज्य और समाज की ओर से अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। उन्हें दान में भूमि के अतिरिक्त अनेक वस्तुएँ भी मिलती थी। अतः अनेक भौतिक सामग्री उन्हें दान में ही मिल जाने से उनकी स्थिति सुदृढ़ रहती थी।

## सन्दर्भित ग्रन्थ सूची

**मूलग्रन्थः–**


अभिधानचिन्तामणि – हेमचन्द्र
अभिधान रत्नमाला – हलायुध
अपरार्क की यज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका
द्वाश्रयकाव्य – हेमचन्द्र
कथकोश प्रकरण – जिनेश्वर सूरी
काव्यमीमांसा – राजशेखर
कृत्यकल्पतरू – लक्ष्मीधर
कुट्टनिमातम – दामोदरगुप्त
लेखपद्धति
कुवलयमाला – उद्योतन सूरी
मेधातिथि की मनुस्मृति पर टीका
मिताक्षरा (याज्ञवलक्य स्मृति पर टीका) – विज्ञानेश्वर
प्रबन्धचिन्तामणि – मेरूतुंग
भविष्यत कथा – धनमाल
राजतरंगिणी – कल्हण
समरैच्चकहा – हरीभद्र सूरी
स्मृति चन्द्रिका – देवण्भट्ट
सुभाषितरत्नकोष – विध्यांकर
तिलकमंजरी कथा – धनपाल
त्रिशास्टिश्लाका पुरूष चरित – हेमचन्द्र
नीतिवाक्यामृत – सोमदेवसूरी
उक्तिव्यक्ति प्रकरण – दामोदर पण्डित
उपमिति भव प्रपंच कथा – सिद्धर्षि
वैजयन्ति – यादवप्रकाश
व्यवहार प्रकाश – वीरमित्रोदय
वृद्धहारित की याज्ञवलक्य स्मृति पर टीका
विश्वरूप की याज्ञवलक्य स्मृति पर टीका
विरूद्ध विधि विध्वंश – लक्ष्मीधर
धूर्ताख्यान भविष्यत कथा
तहकीक–ए–हिन्द – अलबेरूनी

**सहायक ग्रन्थः–**


| | | |
|---|---|---|
| ए0एस0 अल्तेकर | – | द पोजिशन आफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन |
| बी0एन0एस0 यादव | – | सोसाइटी इन नार्दन इण्डिया इन द $12^{th}$ सेन्चुरी |
| बी0एन0 शर्मा | – | सोशल लाइफ इन नार्दर्न इण्डिया |
| बी0पी0 मजूमदार | – | उत्तर भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास (1030–1194ई0) |
| सी0वी0 वैद्य | – | हिस्ट्री आफ हिन्दू मिडिअुल इण्डिया |
| जी0पी0 उपाध्याय | – | ब्राह्मन्स इन एन्सियन्ट इण्डिया |
| आर0 के0 मुखर्जी | – | प्राचीन भारत |
| ओम प्रकाश | – | प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास |
| ओम प्रकाश | – | प्राचीन भारत में धर्म एवं समाज |
| पी0एच0प्रभु | – | हिन्दू सामाजिक संगठन |
| आर0एस0 शर्मा | – | प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास |